

डब्ल्यू-02/0029/2021-डीपीई(डब्ल्यूसी)


भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन
ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 16.05.2023

शुद्धिपत्र

विषय:- दिनांक 01.10.2020 को या उसके बाद और 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले आईडीए पैटर्न अपनाने वाले सीपीएसईज़ के कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि की गणना पर स्पष्टीकरण के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर डीपीई के दिनांक 26.04.2023 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लें। इस संबंध में यह बताया जाता है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अवधि को दिनांक 01.01.2020 और 30.06.2021 के बजाय दिनांक 01.10.2020 और दिनांक 30.06.2021 पढ़ा जाए।



(नरेश कुमार)
अवर सचिव

सेवा में,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
[ध्यानाकर्षण: श्री राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव]
वाणिज्य भवन, अकबर रोड
नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।
2. सीपीएसईज़ के मुख्य कार्यपालक।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।